न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 264/2016

वादीगण :-

1. जीयाराम गोदपुत्र गोपाराम
   जाति-मेघवाल (भांबी),
   साकिन-बिरोल, तहसील-जैतारण

बनाम

प्रतिवादी :-

1. मदनलाल पुत्र चुन्नीलाल
2. मिसराई पुत्री चुन्नीलाल
   जाति-मेघवाल, साकिन-बिरोल
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.13/06/2016

उपस्थितः- 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री गोविन्द प्रजापत, अधिवक्ता, प्रति0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 01/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-बिरोल, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 222/18, 262/2 कुल किता-2 कुल रकबा 5-01 बीघा भूमि गोपाराम पुत्र रावतराम के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज है। उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है तथा वादी के वंश वंशावली निम्न प्रकार है। रावतराम के दो पुत्र चुन्नीलाल व गोपाराम है। चुन्नीलाल फौत के स्थान पर जीयाराम पुत्र चुन्नीलाल, मदनलाल पुत्र चुन्नीलाल व मिसराई पुत्री चुन्नीलाल है। तथा गोपाराम ना औलाद फौत। उपरोक्त वर्णित वंशावली श्री गोपाराम पुत्र रावतराम वादी के सगे काका लगते थे तथा ये नाऔलाद फौत हो गये है इनके पीछे कोई भी पुत्र पुत्री तथा पत्नी भी मौजूद नही है। यानि पत्नी भी फौत हो चुकी है। वादी बचपन से ही अपने काका गोपाराम के पास ही रहता था तथा वही उनकी सेवा करता था। इस कारण वादी को उसके काका गोपाराम ने गोद पुत्र के रूप में उसे गोद ले लिया जिसका इन्द्राज श्री गोपाराम ने गांव व समाज बंधुओं के समक्ष रावजी की बही में करवा दिया परन्तु श्री गोपाराम अनपढ होने के कारण रजिस्टर्ड गोदनामा नही करवा पाए। रावजी की बही की फोटो प्रति साथ पेश है। वादी का श्री गोपाराम के गोदपुत्र होने बाबत् प्रतिवादीगण को या अन्य को कोई आपत्ति या एतराज नही है। वादी ने अपने जायंदा पिताजी श्री चुन्नीलाल की चल व अचल सम्पति में हक हिस्सा व अधिकार भी प्रतिवादीगण के पक्ष में त्याग दिया है। श्री गोपाराम के गोद पुत्र होने बाबत् कार्यालय ग्राम पंचायत बिरोल का प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड पेश किया है जो प्रस्तुत है। उक्त भूमि पर बैंक से ऋण लेकर भूमि को आधुनिक तरिके से बोने एवं उपकरण खरीदने हेतु ऋण की आवश्यकता है इसलिए उसने ऋण बाबत् बैंक में आवेदन किया तो पता चला कि जमाबंदी में उसका नाम दर्ज नही होने से ऋण नही दिया जा सका। अगर वादी को ऋण नही मिला तो वह आधुनिक तरीके से खेती नही कर पायेगा और उसे असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नही आंकी जा सकेगी। बिनायदावा दिनांक 5.6.16 को पैश हुआ जब पटवारी से जमाबंदी की नकले ली व बैंक में ऋण हेतु आवेदन किया जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर वकालतनामा एवं ईकबालिया जवाब दावा पेश हुआ, जिसे सा0मि0 किया गया तथा प्रति0 के साक्ष्य के शपथ-पत्र पेश किया, जिसे सा0मि0 किये गये। तहसीलदार जैतारण ने पटवारी हल्का-बिरोल द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करवाई कि आज दिनांक 01/05/2018 को मजमा-ए-आम में पूछताछ करने पर ग्राम-बिरोल के खसरा नम्बर 222/8 एवं 262/2 कुल रकबा 5-01 बीघा भूमि गोपाराम पुत्र रावतराम कौम-भांबी की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमि हैं। खातेदार की पत्नि सुवादेवी की मृत्यु हो चुकी हैं। इनके कोई जायन्दा पुत्र एवं पुत्री नहीं हैं। गोपाराम के एक गोदपुत्र जीयाराम हैं जो कि गोपाराम के भाई चुन्नीलाल का पुत्र हैं। उक्त गोदनामा पंजीकृत न होकर सामाजिक रीति रिवाज एवं राव की बही में दर्ज हैं। इसके प्रमाण में ग्राम पंचायत का पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि से स्पष्ट हैं। मौतबिरान से पूछताछ करने पर जीयाराम का गोपाराम को गोदपुत्र बताया गया। उक्त भूमि पर गोपाराम के गोदपुत्र जीयाराम का कब्जा व काश्त होना बताया गया। वकील वादी ने वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बिरोल में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः मजमा-ए-आम में मौजूद मौतबिरान, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र एवं पटवारी हल्का-बिरोल की फर्द मौका रिपोर्ट से जाहिर होता हैं कि वादी ही गोपाराम का गोद लिया हुआ पुत्र हैं। लिहाजा वादी को उक्त आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बिरोल, तहसील-जैतारण जिला-पाली में खसरा नम्बर 222/18, 262/2 कुल किता-2 कुल रकबा 5-01 बीघा की भूमि में वादी को गोपाराम पुत्र रावतराम कौम भांबी के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बिरोल में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner